

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002.

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-01/मु.1-134/2016.....05...../ राँची, दिनांक-14.12.2018...../

WP(S) No. 3375/2016 : दुखु राम कोयरी बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामालें में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-01.05.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति/नियुक्ति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा Broad Guideline तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा Broad Guideline पर सहमति प्रदान की गयी है।

यह Broad Guideline निम्न विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है:-

- (क) प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की किस तिथि को आधार माना जाय।
- (ख) CAS योजना के तहत प्रोन्नति की तिथि क्या होगी।
- (ग) दिनांक-31.12.2008 के बाद प्रोन्नति किस परिनियम के तहत होगी।
- (क) प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की तिथि की अनुमान्यता:-प्रोन्नति के लिए नियुक्ति की उसी तिथि को आधार माना जायेगा, जिस तिथि के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग से concurrence प्राप्त हुआ हो। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से concurrence प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय महाविद्यालयों का निम्नवत् वर्गीकरण किया जाय:-
 - (i) सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये महाविद्यालय एवं 3rd phase तक अंगीभूत किए गए महाविद्यालय।
 - (ii) चतुर्थ चरण में अंगीभूत किए गए महाविद्यालय ।

प्रथम के लिए यदि शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग/महाविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की गई है तो उनके योगदान की तिथि को प्रोन्नति हेतु आधार माना जायेगा।

यदि शिक्षक का अन्तर्लीनीकरण (absorption) परिनियमों के अन्तर्गत हुआ है तो सेवा में योगदान के प्रथम तिथि को प्रोन्नति हेतु आधार माना जायेगा। द्रोढ़ा मामलों में substantive date of appointment ही प्रोन्नति के लिए आधार तिथि होगी। परन्तु इन तिथियों के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग का concurrence अनिवार्य होगा।

4th phaseके महाविद्यालयों के मामलों में Justice Agarwal (Retd.) आयोग द्वारा उनके प्रतिवेदन-Vol-I(Page-64) पर उल्लेख किया गया है कि-

“The said list of teachers cannot be confined to the number of sanctioned posts in the College because for absorption of the services of teachers approval of the Bihar State University (Constituent College) Service Commission’s necessary and the possibility of such approval being refused by the said Commission in respect of a teacher cannot be excluded.”

Justice Agrawal (Retd.) आयोग के इस प्रतिवेदन के अनुसार उन सभी शिक्षकों के मामले में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की सहमति अनिवार्य होगी, जिनका अन्तर्लीनीकरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6098/97 राज्य सरकार बनाम् महासंघ मामले में पारित आदेश की कंडिका-73(3) में उल्लेख निम्नवत् है:-

“The members of the staff in various affiliated colleges identified and named in list No. (1) being appointees against the sanctioned posts shall be absorbed and formal order to that effect shall be issued by the Universities concerned.”

उपर्युक्त आदेश से स्पष्ट है कि Justice Agarwal (Retd.) आयोग के अनुसार जो शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत हैं, उनके अन्तर्लीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। चूंकि इनकी नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा mandated है, अतः इनकी नियुक्ति पर न तो विश्वविद्यालय, न ही कोई सेवा आयोग आपत्ति उठा सकता है। इस प्रकार इनके मामले में यदि विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्लीनीकरण के पश्चात् झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति ली जाती है, तो ये मात्र एक औपचारिकता होगी।

पुनः जस्टिस एस० बी० सिन्हा (से०नि०) आयोग द्वारा जिन शिक्षकों के मामले में absorption का आदेश दिया गया है, वह व्यक्तिपरक है, अर्थात् प्रत्येक शिक्षक के मामले में पृथक आदेश पारित किया गया है एवं यह आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस श्रेणी के शिक्षकों के मामले में भी अन्तर्लीनीकरण के पश्चात् जे०पी०एस०सी० से सहमति की कार्रवाई मात्र एक औपचारिकता होगी।

ऐसे में वैसे शिक्षक, जो जस्टिस अग्रवाल (से0नि0) आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत है एवं वैसे शिक्षक, जिनके अन्तर्लीनीकरण की अनुशंसा जस्टिस एस0 बी0 सिन्हा (से0नि0) आयोग द्वारा की गयी है, के मामले में जे0पी0एस0सी0 की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

वैसे शिक्षक, जो जस्टिस अग्रवाल (से0नि0) आयोग के प्रतिवेदन में R-I पद के विरुद्ध कार्यरत है, उनका अन्तर्लीनीकरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा mandated नहीं है, बल्कि कुछ बंधेजों के साथ विश्वविद्यालय को इनका अन्तर्लीनीकरण का अधिकार दिया गया है।

चूंकि इन शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण विश्वविद्यालय के विवेकाधिकार के अन्तर्गत किया गया है, अतः ऐसे शिक्षकों के मामले में झारखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति अनिवार्य होगी। जिन कर्मियों के लिए जस्टिस अग्रवाल कमीशन एवं जस्टिस एस0 बी0 सिन्हा कमीशन द्वारा date of eligibility/ date of appointment निर्धारित कर दी गयी है, उनके मामलों में प्रोन्नति के लिए वही तिथि आधार होगी। जस्टिस अग्रवाल (सेवा निवृत्त) आयोग द्वारा जिन मामलों में date of eligibility निर्धारित की गयी है उन मामलों में यदि शिक्षक द्वारा eligibility की तिथि को योगदान नहीं किया गया है एवं पद स्वीकृत है तो उस स्थिति में date of appointment ही प्रोन्नति का आधार होगा। पुनः यदि date of eligibility को sanction पद उपलब्ध नहीं है तो date of eligibility पद सृजन की तिथि से होगी।

जिन शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण वर्ष 1990 के एक्ट-3 लागू होने के पूर्व की तिथि से किया जा रहा है, उनके मामले में जे0पी0एस0सी0 से सहमति की कार्रवाई बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-57A 5(C) के आलोक में की जायेगी एवं जिन शिक्षकों की सेवा का अन्तर्लीनीकरण वर्ष 1990 के एक्ट-3 के लागू होने की तिथि के बाद की तिथि से किया जाता है, उनके मामलों में जे0पी0एस0सी0 से सहमति की कार्रवाई झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-57A 4(C) के आलोक में की जायेगी।

वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति उपर्युक्त दोनों आयोगों द्वारा अनुशंसित नहीं है, उनके मामले में विश्वविद्यालय द्वारा case to case absorption के विन्दु पर निर्णय लिया जायेगा। परन्तु इनके मामले में भी झारखण्ड लोक सेवा आयोग का concurrence अनिवार्य होगा।

(ख) CAS योजना के तहत प्रोन्नति की तिथि:-

Career Advancement Scheme (CAS) जिसे न्यू CAS के नाम से जाना जाता है, दिनांक- 27.07.98 के प्रभाव से लागू है। पुनः सरकार के संकल्प संख्या-1188 दिनांक-20.11.2010 द्वारा इसकी समय सीमा दिनांक-31.12.2008 तक निर्धारित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिये गये निर्णय, जो दिनांक-30.06.2010 को अधिसूचित है, के आलोक में सरकार द्वारा CAS योजना अन्तर्गत Orientation/Refresher की अवधि को दिनांक-31.12.2013 तक विस्तारित किया गया है।

यदि किसी शिक्षक की प्रोन्नति हेतु सेवा अवधि दिनांक-31.12.2008 के पूर्व है, परन्तु Orientation/Refresher Course दिनांक-31.12.2008 के बाद, परन्तु 31.12.2013 के पूर्व किया जाता है, तो उनकी प्रोन्नति की तिथि वही होगी, जिस तिथि को उनकी प्रोन्नति की सेवा अवधि पूरी होती है।

पुनः वैसे शिक्षक, जिनके प्रोन्नति की सेवा अवधि 31.12.2008 के पूर्व है, परन्तु उनके द्वारा Orientation/Refresher Course विस्तारित अवधि 31.12.2013 के बाद किया जाता है, तो वैसी स्थिति में प्रोन्नति की तिथि Orientation/ Refresher Course पूरा करने की तिथि से लागू होगी। पुनः Lecturer से Lecturer Senior Scale में प्रोन्नति हेतु Orientation/Refresher की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि शिक्षक को इस द्वात के साथ प्रोन्नति दी जायेगी, कि वे वि ँ विद्यालय सेवा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित संख्या में Orientation/Refresher पूरा कर लें। यदि शिक्षक वांछित संख्या में Orientation/Refresher पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें अगली प्रोन्नति नहीं दी जायेगी।

(ग) दिनांक-31.12.2008 के बाद प्रोन्नति :-

वैसे शिक्षक, जिनकी प्रोन्नति हेतु समयावधि 31.12.2008 के बाद पूरी होती है, उन्हें विभागीय संकल्प संख्या-1188 दिनांक-20.11.2010 की कंडिका-16 में लिये गये निर्णय के आलोक में यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2010 के प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नति दी जायेगी। इस संबंध में वि ँ विद्यालय परिनियम गठित कर विभाग को उपलब्ध करायेगा, तदोपरांत विभाग द्वारा माननीय राज्यपाल-सह-कुलाधिति की सहमति प्राप्त कर वि ँ विद्यालयों को संसूचित किया जा सकेगा।

2. WP(S) No. 3375/2016 : दुखु राम कोयरी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-01.05.2017 को पारित न्यायादे ँ ा की कंडिका-17 के अनुपालन में हो रही व्यवहारिक

कठिनाईयों के मद्देनजर महाधिवक्ता, झारखण्ड के परामर्श के आलोक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि रीडर से प्रोफेसर में प्रोन्नति हेतु Time Bound Promotion Scheme की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

3. प्रस्ताव एवं विस्तृत मार्गदर्शान पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-06.12.2018 में मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेद्वारा:- आदेद्वारा दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हO/-

(डेविड दानिएल तिर्की)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-2/वि.1-162/2017...../

राँची,

दिनांक

...../

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ई-गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

हO/-

(डेविड दानिएल तिर्की)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/वि.1-162/2017...../

राँची,

दिनांक-

...../

प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

हO/-

(डेविड दानिएल तिर्की)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/वि.1-162/2017...2409...../

राँची, दिनांक-....14.12.2018...../

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेक्षित।

हO/-

(डेविड दानिएल तिर्की)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/वि.1-162/2017...2409...../

राँची, दिनांक-....14.12.2018...../

प्रतिलिपि:- कुलसचिव,

राँची वि य वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे वि य वविद्यालय, हजारीबाग/सिदो-कान्हू मुर्मू वि य वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर वि य वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/कोल्हान वि य वविद्यालय, चाईबासा/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल वि य वविद्यालय, धनबाद/डॉ० द्रयामा प्रसाद मुखर्जी वि य वविद्यालय, राँची को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेक्षित।

हO/-

(डेविड दानिएल तिर्की)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/वि.1-162/2017...2409...../

राँची, दिनांक-....14.12.2018...../

प्रतिलिपि:- सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौ य ाल विकास विभाग के प्रधान आस सचिव/निदे य ाक, उच्च शिक्षा के प्रधान आस सचिव/उच्च शिक्षा के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेक्षित।

(डेविड दानिएल तिर्की)

सरकार के संयुक्त सचिव।